UPRN010016352026

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय(14 वाँ वित्त आयोग), रमाबाई नगर(कानपुर देहात)।

<u>प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र सं०–498/2026</u>

अयोध्या प्रसाद पुत्र छक्कीलाल उम्र करीब 62 वर्ष निवासी फिरोजपुर, थाना–अजीतमल, जिला–औरैया।

.....आवेदक/अभियुक्त।

<u>बनाम</u>

उत्तर प्रदेश सरकार **.....अभियोजन पक्ष।**

मु०अ०सं०–55/2026
धारा–3/5/25 आयुध अधिनियम।
थाना–भोगनीपुर, जिला–कानपुर देहात।

<u>दिनांक–19.03.2026</u>

आवेदक/अभियुक्त अयोध्या प्रसाद की ओर से प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र मु०अ०सं०–55/2026, अन्तर्गत धारा–3/5/25 आयुध अधिनियम, थाना–भोगनीपुर, जिला–कानपुर देहात के मामले में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है, जो विनीता पोरवाल पत्नी अयोध्या प्रसाद के शपथपत्र से समर्थित है।

प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र के निस्तारण हेतु संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि घटना दिनांक–14.02.2026 को समय करीब 02:45 बजे, स्थान कबूतरा डेरा के खण्डहरनुमा मकान वह्द ग्राम करियापुर, थाना–भोगनीपुर, जिला–कानपुर देहात के क्षेत्राधिकार में वादी मुकदमा अमरेन्द्र प्रताप सिंह उपनिरीक्षक मय पुलिस साथियों के साथ कानपुर झांसी हाइवे पर स्थित कंचन मोटर्स के आगे पिपरी मोड़ के पास चेकिंग कर रहे थे कि मुखबिर खास की सूचना पर वह मय पुलिस साथियों के साथ मौके पर पहुंचा तो एक व्यक्ति हाथ में रेती लिये कुछ रगड़ रहा है तथा दूसरा व्यक्ति अवैध तमंचों को रख रहा है तब हम पुलिस वालों ने एकबारगी दबिश देकर घेरकर कमरे में बैठे दोनों व्यक्तियों को पकड़ लिया गया। पकड़े गये एक व्यक्ति ने अपना नाम अयोध्या प्रसाद पुत्र छक्की लाल उम्र करीब 61 वर्ष निवासी फिरोजनगर, थाना–अजीमल, जनपद–औरैया बताया जिसकी जामा तलाशी से पहने पैंट की पिछली जेब से 400 रूपये(100 रूपये के 04 नोट) बरामद हुये तथा दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम नमित पुत्र अयोध्या प्रसाद उम्र करीब 38 वर्ष निवासी फिरोजनगर, थाना–अजीतमल, जिला–औरैया बताया जिसकी जामा तलाशी से पैंट की जेब से 600 रूपये(500 रूपये का 01 नोट व 100 रूपये का 01 नोट) बरामद हुआ। पकड़े गये व्यक्तियों के पास से पुलिस पार्टी द्वारा 05 अदद अवैध पिस्टल मय मैगजीन 32 बोर, 01 अदद अवैध तमंचा 32 बोर, 03 अदद अवैध तमंचा 315 बोर, 01 अदद अर्ध निर्मित अवैध तमंचा 12 बोर, 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर, 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर, 01 अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर एवं तमंचा बनाने के उपकरण बरामद किये गये।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र मुख्य रूप से इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त की गिरफ्तारी के समय कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं था। अभियुक्त अपने पुत्र सहअभियुक्त नमित के साथ दिनांक–13.02.2026 को जनपद औरैया काम से आया था तथा शाम को घर वापस जाते समय न्यायालय के बाहर से थाना हाजा की पुलिस द्वारा अभियुक्त व उसके पुत्र को जबरन उठा लिया गया और थाना भोगनीपुर ले जाया गया। थाना हाजा की पुलिस द्वारा उनसे पचास हजार रूपये की मांग की गयी असमर्थता जताने पर आवेदक/अभियुक्त को झूठा व फर्जी फंसा दिया गया। थाना हाजा की पुलिस द्वारा आवेदक/अभियुक्त के पास से दिखायी गयी अवैध असलह व सामान की रिकवरी पूर्णतया फर्जी

क्रमशः पेज सं०–2 पर

Digitally signed by ANAND PRIYA GAUTAM
Date: 2026.03.19 16:50:11 IST
Reason: Bail.
Location: Add.District and Sessions Court/FTC(14th.Fin.Comm)

है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र दिनांक – 20.02.2026 को निरस्त किया जा चुका है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक–14.02.2026 से जेल में निरूद्ध है। आवेदक /अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई प्रार्थनापत्र किसी अन्य सत्र न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में न तो प्रस्तुत किया गया है और न ही लम्बित है और न ही निरस्त किया गया है। आवेदक/अभियुक्त जमानत पर रिहा होने पर जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा तथा न्यायालय के आदेशों का पालन करेगा। अतः आवेदक/अभियुक्त को दौरान मुकदमा जमानत पर रिहा किया जाये।

प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र के संबंध में संबंधित थाने से अभियुक्त की प्रस्तवार आख्या प्राप्त हुयी।

राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) के द्वारा प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुये कथन किया गया है कि अभियुक्त के कब्जे से भारी मात्रा में निर्मित व अर्द्ध निर्मित तमंचे, पिस्टल व अन्य सामान बरामद हुआ है। यदि अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया गया तो वह जमानत की शर्तों का दुरूपयोग करेगा तथा न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं करेगा। अतः अभियुक्त की जमानत का विरोध किया गया।

मैंने प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदक /अभियुक्त की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

प्रस्तुत मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा–3/25/27 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत नामजद अभियुक्तगण अयोध्या प्रसाद व नमित के विरूद्ध पंजीकृत करायी गयी है। प्रस्तुत मामले में संबंधित थाने की पुलिस द्वारा अभियुक्त अयोध्या प्रसाद को मौके पर सहअभियुक्त नमित के साथ अवैध तमंचा बनाते हुये पकड़ा गया है। मौके से 05 अदद अवैध पिस्टल मय मैगजीन 32 बोर, 01 अदद अवैध तमंचा 32 बोर, 03 अदद अवैध तमंचा 315 बोर, 01 अदद अर्द्ध निर्मित अवैध तमंचा 12 बोर, 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर, 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर, 01 अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर एवं तमंचा बनाने के उपकरण बरामद हुये हैं। संबंधित थाने से प्राप्त अभियुक्त अयोध्या प्रसाद की सी०सी०टी०एन०एस कैस रिपोर्ट दिनांकित–10.03.2026 के अनुसार प्रस्तुत मामले के अतिरिक्त कुल 13 आपराधिक मुकदमें जनपद–औरैया व जनपद–कानपुर देहात के थाने पर पंजीकृत हैं, जिनमें से 07 मुकदमें आयुध अधिनियम के, 02 मुकदमें गैंगेस्टर एक्ट के, 01 उ०प्र० मुकदमा गुण्डागर्दी निवारण अधिनियम का, 01 मुकदमा एन०डी०पी०एस० एक्ट का एवं अन्य मुकदमें भा०दं०सं० व एस०सी०/एस०टी० एक्ट के हैं। उक्त 07 आयुध अधिनियम के मुकदमों में से एक मुकदमा धारा–5/25 आयुध अधिनियम तथा एक मुकदमा धारा–3/5/25 आयुध अधिनियम का है। आवेदक/अभियुक्त प्रस्तुत मामले में दिनांक–14.02.2026 से जेल में निरूद्ध है। इस प्रकार अभियुक्त आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति होना पाया जाता है और यदि अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाता है तो उसके पुनः अपराध में संलिप्त होने की संभावना है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुये मुकदमें के गुणदोष पर कोई राय व्यक्त किये बिना आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र खारिज किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त अयोध्या प्रसाद की ओर से मु०अ०सं० –55/2026, अन्तर्गत धारा–3/5/25 आयुध अधिनियम, थाना–भोगनीपुर, जिला–कानपुर देहात के मामले में प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र खारिज किया जाता है।

<u>दिनांक–19.03.2026</u>

(आनन्द प्रिय गौतम)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
त्वरित न्यायालय(14 वाँ वित्त आयोग)
रमाबाई नगर(कानपुर देहात)।